निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या:— 18 / 2017
दायरा दिनांक:— 08.02.2017
निर्णय दिनांक :— 19.04.2017

उनवान

राजेन्द्र कुमार उर्फ राजू पुत्र मदनलाल जाति हरिजन निवासी सुखनेरी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान

वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :— 19.04.2017

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री ललित कुमार शर्मा वादी

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट विरू प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 248 / 49 रकवा बीघा 15 बिस्वा मौजा सुखनेरी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुताि जमाबंदी संख्या 3 सम्वत् 2072 ता 75 से हिस्सा 1 / 6 से वादी के दर्ज जमाबंदी एवं कब्जे काश्त चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजी मे वादी का नाम राजू दर्ज है, जबकि वादी के नाम दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचानपत्र संख्या डीएनजे 1232214 मे नाम राजेन्द्र भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 9431 7838 4564 मे नाम राजेन्द्रकुमार दर्ज है। रिकार्ड मे वादी का नाम राजू व अन्य दस्तावेज मे नाम राजेन्द्रकुमार दर्ज होने से वादी को उक्त आराजीयात के संबंध मे किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने जैसे बैंक ऋण प्राप्त करने या अन की कार्यवाही करने मे काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए वादी के लिये उक आराजीयात मे अपना नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दर्ज करवाना नितान्त आवश्यक हो

वादी ने दिनांक 06.02.2017 को प्रतिवादी से उक्त वर्णित आराजीयात नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्रकुमार दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्रकुमार दर्ज करने से इन्कार कर दिया तथा माननीय न्यायालय मे कार्य के स्थान पर राजेन्द्रकुमार दर्ज करने से इन्कार कर दिया तथा माननीय न्यायालय मे कार्य लिये कहा यही तिथि बिनाय मुखास्मत दावा हाजा करार दी जाती है। वादी द्वारा वाद स्वी निवेदन किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जबाव पेश नही करने पर प्रतिवादी का जबाव बन्द किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम सुखनेरी संवत 2072–75, नकल इन्तकाल नं0 174 दिनाक 22.07.2002, सरपंच ग्राम पंचायत बिलेन्डी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 03.01.2017, पहचान पत्र, फोटो प्रति आधार कार्ड, फोटो प्रति पहचान पत्र, पेश किये गये। साक्ष्य वादी में राजेन्द्र कुमार, प्रहलाद वर्मा, ओमप्रकाश, का शपथ पत्र पेश किया।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन कि आराजी खसरा नंबर 248/49 3 बीघा 15 बिस्वा मौजा सुखनेरी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां मे स्थित है। उक्त आराजी मे वादी का नाम राजू दर्ज है, जबकि वादी का नाम अन्य दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र व भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 9431 7838 4564 मे राजेन्द्रकुमार दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम राजू व अन्य दस्तावेज मे नाम राजेन्द्रकुमार दर्ज होने से वादी को उक्त आराजीयात पर बैंक ऋण प्राप्त करने या अन्य प्रकार की कार्यवाही करने मे काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है, वादी का वाद स्वीकार कर राजू के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम सुखनेरी संवत 2072–75 के अनुसार ओमप्रकाश, राजू, भगवानदास, पुत्र मदन मोहन दर्ज है। नकल इन्तकाल नं0 174 दिनाक 22.07.2002, के अनुसार ओमप्रकाश, राजू, भगवानदास, दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत बिलेन्डी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 03.01.2017 में बताया कि राजू व राजेन्द्र कुमार दोनो नामों से जानते है। फोटो प्रति आधार कार्ड व फोटो प्रति पहचान पत्र, में राजेन्द्र कुमार अंकित हैं। इससे यह साबित होता है कि वादी का सही नाम राजेन्द्र कुमार है। जो राजस्व रिकार्ड में राजू दर्ज हो गया है जो गलत हैं। वादी का वाद स्वीकार कर वादी का नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम सुखनेरी के खसरा नंबर 248/49 रकवा 3 बीघा 15 बिस्वा में वादी का नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद को दिये जाते है। तद्नुरूप डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 18/2017	धारा अन्तर्गत 88, RTA	निर्णय दिनांक : 19.04.2017
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादीः– श्री ललित कुमार शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

राजेन्द्र कुमार उर्फ राजू पुत्र मदनलाल जाति हरिजन निवासी सुखनेरी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है, विवादित आराजी वाके ग्राम सुखनेरी के खसर नंबर 248/49 रकवा 3 बीघा 15 बिस्वा में वादी का नाम राजू के स्थान पर राजेन्द्र कुमार दर्ज करने व आदेश तहसीलदार छीपाबडौद को दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 19.4.17 को निर्गत किया गया।

कार्यालय उपजिला कलक्टर छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी,
छीपाबड़ौद

व्ययानुतोष

क्र. सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		

Scanned by CamScanner